02952-221909 rjvs10@yahoo.in www.rjvs.in rjvs.ngo

“हौसलों की उडान”

अक्टूबर-दिसम्बर 2025 अंक - 04

हमारा प्रयास है कि समुदायों में जागरूकता, शिक्षा और नेतृत्व के अवसर बढ़ें, ताकि महिलाएँ, किशोरियाँ और युवा मिलकर सुरक्षित, समान और हिंसा-मुक्त समाज का निर्माण कर सकें।

“हमारी पहल”

गर्ल्स नॉट ब्राइड्स (GNB) राजस्थान स्टेट पार्टनरशिप के अंतर्गत “हमारी पहल” अभियान को सुदृढ़ करने हेतु राजसमंद जन विकास संस्थान कार्यालय में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं में बाल विवाह एवं जबरन विवाह की रोकथाम, शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी, सुरक्षित वातावरण निर्माण तथा समुदाय को संगठित करने की तकनीकों पर क्षमता विकसित करना था।

सत्रों में समूह गतिविधियों, विचार-विमर्श और व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से प्रतिभागियों को अभियान प्रबंधन, जोखिम आकलन, डेटा संग्रहण एवं पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के कौशल विकसित किए गए।

कार्यक्रम के दौरान युवाओं द्वारा “बाल विवाह को ना – शिक्षा को हाँ” संदेश के साथ हमारी पहल पोस्टर का विमोचन जिला प्रशासन द्वारा किया गया, जिससे अभियान को जिला स्तर पर आगे ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा।

अभियान का लक्ष्य युवाओं के नेतृत्व में सामुदायिक नेटवर्क को मजबूत बनाना है ताकि जिले में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अंत हो और बेटियों के लिए शिक्षा एवं समान अवसर सुनिश्चित हो सकें।

किशोर नेतृत्व क्षमता निर्माण

एम्पावर के सहयोग से क्रियान्वित “आगाज़” परियोजना के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें राजसमंद और भीलवाड़ा के 41 किशोर नेतृत्वकर्ताओं ने भाग लिया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य किशोरों में नेतृत्व क्षमताओं का विकास, डिजिटल साक्षरता, करियर मार्गदर्शन तथा लैंगिक न्याय की समझ को मजबूत करना था। सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को सुरक्षित डिजिटल लेनदेन, नेतृत्व भूमिकाओं, विषय चयन व करियर विकल्पों, तथा लैंगिक समानता व सामाजिक रूढ़ियों पर विचार-विमर्श हेतु प्रोत्साहित किया गया।

सामुदायिक सहभागिता एवं बाल विवाह रोकथाम में किशोर नेताओं की भूमिका पर विशेष बल दिया गया। समूह गतिविधियों ने प्रतिभागियों में आत्मविश्वास, संवाद, और टीमवर्क की भावना को सुदृढ़ किया।

कार्यक्रम ने किशोर नेतृत्व को दिशा प्रदान करते हुए उन्हें समुदाय स्तर पर परिवर्तनकारी भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया।

विश्वास का रक्षा सूत्र

अपराजिता परियोजना के अंतर्गत राजसमन्द जन विकास संस्थान एवं महिला मंच द्वारा "बहिना दूज" कार्यक्रम का आयोजन लक्ष्मी गार्डन, जावद में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एकल महिलाओं को संगठित करते हुए सुरक्षा, सहयोग और अधिकारों के प्रति जागरूकता सुदृढ़ करना था।

इस अवसर पर एकल महिलाओं ने सामाजिक भेदभाव, असुरक्षा और एकाकीपन के विरुद्ध सामूहिक एकजुटता का संदेश दिया तथा अपने हक़ और सम्मान के लिए आवाज़ बुलंद की।

सैकड़ों एकल महिलाओं ने रक्षा सूत्र बाँधकर एक-दूसरे की सुरक्षा, समर्थन और साथ निभाने का संकल्प लिया। उनके अनुभवों, संघर्षों और आत्मविश्वास की कहानियों ने सामूहिक शक्ति और बहनचारे की मजबूत मिसाल प्रस्तुत की।

कार्यक्रम ने यह भी रेखांकित किया कि संगठित प्रयासों के माध्यम से एकल महिलाएँ न केवल अपने जीवन को सशक्त बना सकती हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की अग्रदूत भी बन सकती हैं।

वक्ताओं ने कहा कि बहिना दूज महिला एकता और पारस्परिक सहयोग का प्रतीक है—जहाँ महिलाएँ एक-दूसरे के लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़ी हों। यह आयोजन सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देते हुए एकल महिलाओं की पहचान, सम्मान और आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में प्रेरक कदम है।

कार्यक्रम का समापन सामूहिक नृत्य, नारों और उत्साहपूर्ण वातावरण के बीच हुआ, जिसने यह संदेश दिया कि जब महिलाएँ एकजुट होती हैं, तभी वास्तविक सामाजिक परिवर्तन संभव होता है।

बाल संरक्षण का संकल्प

कुँवारिया पंचायत में बाल विवाह निरोधक जागरूकता रैली आयोजित की गई। यह रैली बाल संरक्षण समिति तथा स्थानीय समुदाय के पुरुषों और महिलाओं की सहभागिता से सम्पन्न हुई।

रैली के माध्यम से बच्चों के अधिकार, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के महत्व पर विशेष ज़ोर दिया गया।

रैली का उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुप्रथा के प्रति समुदाय में जागरूकता बढ़ाना तथा इसके सामाजिक, मानसिक और कानूनी दुष्परिणामों पर स्पष्ट संदेश देना था। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प व्यक्त किया और बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

समुदाय सदस्यों ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम केवल कानून का विषय नहीं है, बल्कि हर परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। रैली ने संवाद, जिम्मेदारी और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सकारात्मक माहौल तैयार किया, जो बाल अधिकार संरक्षण के प्रयासों को और गति प्रदान करेगा।

16 दिवसीय जागरूकता पखवाड़ा संपन्न

25 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक महिलाओं एवं किशोरियों के साथ होने वाली हिंसा के विरोध में 16 दिवसीय जागरूकता पखवाड़ा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह पखवाड़ा अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस से मानवाधिकार दिवस तक आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य समुदाय में लैंगिक समानता, अधिकारों और सुरक्षा को लेकर समझ को सुदृढ़ करना था।

पखवाड़े के दौरान प्रतिदिन विशेष विषय के अंतर्गत विभिन्न गांवों, पंचायतों और विद्यालयों में सत्र, रैली और संवाद आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव, भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा, पोषण एवं स्वास्थ्य, बाल अधिकार, साइबर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य तथा "मेरा शरीर, मेरा अधिकार" जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। किशोरियों के लिए गुड टच-बैड टच, सहमति (Consent), आत्मसम्मान और जेंडर समानता पर भी विशेष चर्चा की गई।

इस अभियान के माध्यम से महिलाओं, किशोरियों और समुदाय के अन्य सदस्यों ने हिंसा मुक्त समाज के निर्माण हेतु जागरूकता बढ़ाई और सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त की। संस्थान का प्रयास है कि ऐसे अभियानों के माध्यम से सुरक्षित, सम्मानजनक और समर्थ वातावरण को बढ़ावा दिया जाए।

आम रास्ता अवरुद्ध, ग्रामीणों का रास्ते के लिए संघर्ष

सुकून परियोजना के अंतर्गत, दिवेर क्षेत्र में महिलाओं के अधिकार, हिंसा निरोध और सरकारी योजनाओं से जुड़ाव को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रामदेव नगर के ग्रामीणों ने आम रास्ते के अवरोध से उत्पन्न गंभीर समस्या के समाधान हेतु जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व से उपयोग में रहे मार्ग पर अवरोध उत्पन्न हो जाने से दैनिक आवागमन बाधित हो रहा है, जिससे विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं तथा बीमार व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर कई बार प्रयासों के बावजूद समस्या का निराकरण नहीं हो पाया।

ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन से मार्ग का स्थल निरीक्षण कर अवरुद्ध रास्ते को पुनः सुचारु कराने और सभी समुदायजन को निर्बाध आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की।

स्मार्ट इंटरनेट और साइबर सुरक्षा

सुकून और आगाज़ परियोजना के तहत कुम्भलगढ़, भीम, राजसमंद, आमेट और भीलवाड़ा के स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा सेशन आयोजित किए गए। लगभग 500 किशोर-किशोरियों ने भाग लिया।

सेशन में बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, साइबर अपराध की पहचान और बचाव के तरीके बताए गए। उन्हें "गोल्ड सेफ्टी रूल्स" के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने, मजबूत पासवर्ड रखने और गलत कंटेंट मिलने पर बड़ों को सूचित करने की सलाह दी गई।

इंटरएक्टिव गतिविधियों में बच्चों ने ऑनलाइन सही और गलत व्यवहार की पहचान करना सीखा। साथ ही डिजिटल लेनदेन, ऑनलाइन बिल भुगतान और सुरक्षित लोकेशन साझा करने जैसी व्यावहारिक जानकारी भी दी गई।

यह पहल बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित और स्मार्ट उपयोग सिखाने के साथ-साथ उन्हें डिजिटल दुनिया में सतर्क और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित हुई।

एकल महिलाओं का शैक्षणिक भ्रमण

अपराजिता परियोजना के अंतर्गत एकल महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और प्रशासनिक समझ को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला रसद विभाग, पंचायत समिति एवं पुलिस थानों में 6 शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत राजसमंद, रेलमगरा, कुंभलगढ़, खमनोर, देलवाड़ा एवं आमेट ब्लॉकों से कुल 250 से अधिक एकल महिलाएँ शामिल हुईं।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी महिलाओं ने थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया, साइबर अपराध से संबंधित सावधानियाँ तथा पुलिस की कार्यप्रणाली को समझा। महिलाओं को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण या अपराध की स्थिति में बिना भय के थाने से संपर्क करना उनका अधिकार है, जिससे पुलिस तंत्र के प्रति विश्वास और संवाद को बढ़ावा मिला।

जिला रसद विभाग एवं सभी पंचायत समितियों में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे पेंशन, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ भारत मिशन एवं मनरेगा से संबंधित जानकारी साझा की गई। महिलाओं को यह समझ विकसित करने का अवसर मिला कि वे इन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त कर सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपनी बात प्रभावी रूप से रख सकती हैं।

यह पहल एकल महिलाओं को प्रशासनिक तंत्र से जोड़ते हुए उन्हें अधिक आत्मविश्वासी, जागरूक और सशक्त नेतृत्वकर्ता बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही।

पेंशन पुनः बहाल

दिवेर पंचायत की एकल महिला प्यारी बाई की वृद्धावस्था पेंशन दो वर्षों से बंद थी। कई बार पंचायत और कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया।
सुकून परियोजना की टीम ने मोहल्ला बैठक के दौरान मामले की जानकारी मिलने पर तुरंत फॉलो-अप प्रारंभ किया। जांच में पता चला कि बैंक खाते में गलत नंबर लिंक हो जाने से पेंशन प्रक्रिया बाधित हो गई थी। लगातार समन्वय और आवश्यक दस्तावेजी सुधार के बाद प्रशासनिक स्तर पर त्रुटि दूर कराई गई।
लगभग तीन महीने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्यारी बाई को ₹34,000 की बकाया पेंशन प्राप्त हुई। पेंशन बहाल होने पर उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए सामाजिक सहयोग की भावना से "बहना दूज" कार्यक्रम हेतु सेवादान भी दिया।
यह अनुभव दर्शाता है कि सुकून परियोजना के माध्यम से एकल महिलाओं को न केवल जागरूक किया जा रहा है, बल्कि उन्हें अधिकारों, सेवाओं और योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित कर व्यवहारिक सहायता प्रदान की जा रही है।

आजादी के 78 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम

राजसमंद शहर के वार्ड नं. 5 पलेवा मंगरी क्षेत्र में सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर राजसमंद महिला मंच और राजसमंद जन विकास संस्थान द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान उपस्थित महिलाओं ने बताया कि वर्षों से लगातार समस्याओं की शिकायतें करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। क्षेत्र की महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को प्रतिदिन पेयजल संकट, अव्यवस्थित विद्युत मीटरों और कच्चे मार्गों से जूझना पड़ रहा है, जिससे दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
महिलाओं ने बताया कि लगभग 200 से अधिक परिवारों को आज भी नल कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। कई बिजली मीटर खंभों पर खुले लटके हुए हैं, जिससे करंट लगने जैसी दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। बरसात के दिनों में कच्ची सड़कें कीचड़ और जलभराव से भर जाती हैं, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं और बच्चों का अस्पताल तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है।
महिला मंच ने प्रशासन से सुरक्षित बिजली कनेक्शन, घर-घर पेयजल उपलब्धता, सड़क निर्माण और जल निकासी व्यवस्था सुधारने हेतु त्वरित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो महिलाएँ सामूहिक रूप से आंदोलन करने पर मजबूर होंगी।
संगठन ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं का अधिकार सभी नागरिकों का संवैधानिक और मानवीय अधिकार है, इसलिए वार्ड की समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

गर्ल्स कॉर्नर

खुशी प्रजापत
पुनः शिक्षा से जोड़कर मुझे सही राह दिखाई।

रामी खारोल
शादी के लिए मना करना जुर्म नहीं हैं, बल्कि हमारा अधिकार है।

देऊ रेगर
हमारी सोच बदल गई है। अब हम दूसरों की सोच भी बदलना चाहते हैं।

राजसमन्द जन विकास संस्थान द्वारा प्रकाशित
संपादन: शकुंतला पामेचा, मार्गदर्शन: अरविन्द कुमार पामेचा,
लेखन एवं डिजाईन: प्रदीप/भूपेन्द्र सहयोग: समस्त संस्थान सदस्य